आदेश ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 389/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

इण्डियन बैंक शाखा एम.आई. रोड, जयपुर।

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. श्रीमती सीमा दुबे पत्नी श्री संतोष दुबे
2. श्री संतोष दुबे पुत्र श्री शिव विभुति दुबे

पता :– फ्लेट नम्बर 101, ऐश्वर्या पर्ल, सेक्टर 10, विद्याधर नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002

उपस्थित :– श्री राहुल शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश दिनांक 28.11.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु दिनांक **14.02.2023 को** जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी **श्री संतोष दुबे पुत्र श्री शिव विभूति दुबे के स्वामित्व की सम्पत्ति मल्होत्रा नगर राजस्व ग्राम पापड, तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 25 सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 24, 26, 27 का आंशिक भाग पर स्थित फ्लेट नम्बर 709, सप्तम तल, मिदास टच क्षेत्रफल 1089 वर्गफीट** को बन्धक रख कर राशि **43,50,000**/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक **13.10.2023** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को **43,50,000**/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थी का ऋण खाता एन॰ पी॰ ए॰ घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज **44,05,728.82**/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थी को दिनांक **13.10.2023** को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थी द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई उक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी **श्री संतोष दुबे पुत्र श्री शिव विभूति दुबे के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति मल्होत्रा नगर राजस्व ग्राम पापड, तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 25 सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 24, 26, 27 का आंशिक भाग पर स्थित फ्लेट नम्बर 709, सप्तम तल, भिदास टच क्षेत्रफल 1089 वर्गफीट** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक **28.11.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner